

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/ ५६६१ /

जबलपुर, दिनांक २४/१०/२०१८

श्रीमती जर्सीना उझके, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर को दिनांक 22.02.18 से 23.03.18 तक 30 दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 24.03.18 से 19.09.18 तक 180 दिवस प्रसूति अवकाश एवं दिनांक 20.09.18 से 20.03.19 तक 182 दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

सही/-  
(अरविन्द कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/ ५६६२ /

जबलपुर, दिनांक २४/१०/२०१८

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक अवकाश / वेतन पत्रक / सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती जर्सीना उझके, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

४३/२७/१०/२०१८  
(जाकिर हुसैन)  
रजिस्ट्रार (न्या.-एक)